न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या – 02/2020

1. श्रीमति मोहनी देवी धर्म पत्नी श्री भूराराम, उम्र 72 वर्ष, जाति जाट, निवासी नुवा तहसील डीडवाना।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, नागौर राज0।
2. ग्राम पंचायत नूवां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नूवां।
3. ग्राम पंचायत नूवां जरिये ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) पंचायत समिति मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0
4. गजानन्द पुत्र श्री रामकाराम, जाति ब्राहमण, निवासी नूवां तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0

.....अप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम बविरूद्ध निर्णय व प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.09.2014 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नूवां (पचायत समिति मौलासर) जिसके द्वारा श्री गजानन्द पुत्र रमकाराम ब्राहमण निवासी नूवां को भूखण्ड बैचान का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री अमराराम चौधरी, श्री भंवरलाल चौधरी प्रार्थी की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश मोट अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से।
3. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :–26.03.2021

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नूवां के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 गजानन्द पुत्र श्री रामकाराम को जारी भूखण्ड बैचान अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करवाने बाबत पेश की गयी है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया।
2. अप्रार्थी संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत नूवां व 03 ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया व अप्रार्थी संख्या 04 गजानन्द पुत्र श्री रामकाराम की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश मोट व श्री कमल किशोर मोट द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया।
3. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा दिनांक 19.03.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन करते हुये अप्रार्थी संख्या को तर्क करने बाबत निवेदन किया है, कि अप्रार्थी संख्या 01 जिला कलक्टर, नागौर को निगरानी में फोर्मल पक्षकार बनाया गया है जक कि उसकी आवश्यकता नहीं थी न ही राजस्थान सरकार के विरूद्ध निगरानी में अनुतोष चाहा

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को तर्क किया गया।

4. प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि :–

   A. ग्राम नुवा की आबादी क्षैत्र के चीपते पश्चिम दिशा की और प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 95 व 96 कुल रकबा 39 बीघा 19 बिस्वा स्थित हैं जिसके 1/8 वे हिस्से में प्रार्थीया व उसका परिवार पक्का मकानात बनाकर चारों और मेडबन्दी कर रहवास कर रहें हैं।

   B. प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 95 व 96 के पूर्व में ग्राम नुवा की आबादी क्षैत्र की भूमि की सीमा आई हुई है जहां पर प्रार्थीया के खेत की सीमा पर रामदेव ब्राहम्ण के घर की सीमा लगती है।

   C. रामदेव ब्राहम्ण के घर व प्रार्थीया के खेत के मध्य कभी भी कोई खाली आबादी भूमि नहीं थी।

   D. प्रार्थीया व उसके पति वृद्ध व बीमार हैं प्रार्थीया के पुत्र नोकरी व पढ़ाई के कारण ज्यादातर बाहर रहने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 04 गजानन्द ब्राहम्ण ने तत्कालिन सरपंच से मिली–भगत कर प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 96 में से पड़ोस व नजरी नक्शा अंकित करते हुए करीब 8952.5 वर्ग फुट भूमि का एक भूखण्ड व 1610 वर्ग फुट रास्ता बताकर ग्राम पंचायत के सरपंच से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 से एक फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाकर उसके आधार पर प्रार्थीया पर दबाव बनाकर प्रार्थीया की जमीन को कोडीयों के भाव खरीदना चाहता है।

   E. अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 96 में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 04 प्रार्थीया को परेशान करने व दुरूपयोग करने की पूर्ण संभावना है अतः जिस भूखण्ड के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 जो गजानन्द पुत्र रमकाराम ब्राहम्ण निवासी नूवां के हक में जारी कर रखा है, के प्रार्थीया के खातेदारी काश्त के खेत खसरा नम्बर 96 वाके सरहद नुवा के राजस्व सीमा में स्थित होने, ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार में नही होने, ग्राम पंचायत में उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित रिकार्ड नहीं होने व अनापत्ति प्रमाण पत्र पर मिसल संख्या, दायरा तारीख व डिस्पेच नम्बर नहीं होने से उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 को निरस्त किया जावे।

5. अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नूवां ने जरिये अपने विद्वान अधिवक्ता ग्राम पंचायत नूवां के मूल रिकॉर्ड (अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रार्थी गजानन्द के आवेदन, पत्रावली में जारी आदेश, ग्राम पंचायत नूवां के पत्रावली में लिऐ गये प्रस्ताव) की प्रमाणित प्रति पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी जिसमें :–

   A. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री अमराराम चौधरी ने बहस में मुख्यतः निगरानी मिमो में किये गये कथनों को ही दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत नूवां द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 को जिस भूखण्ड के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह

जिला कलक्टर

भूमि प्रार्थीया के खातेदारी काश्त के खेत खसरा नम्बर 96 वाके सरहद नुवा के राजस्व सीमा में स्थित होने से ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत नूवां द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जा कर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अतः उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 को निरस्त किया जावे।

B. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत नूवां ने अनापत्ति प्रमाण पत्र 2014 में जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर है व निगरानीकार ने निगरानी के साथ लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।

C. अप्रार्थी संख्या 04 के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश मोट ने निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष में नियमानुसार ही 2014 में जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा निगरानी वर्ष 2020 में प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। निगरानीकार ने निगरानी के साथ लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः ग्राम पंचायत नूवां द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमानासर जारी किये जाने व निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।

7. पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में किये गय कथन व प्रस्तुत तर्कों पर मनन पश्चात न्यायालय का यह मत है, कि

A. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निगरानीकार द्वारा वर्ष 2014 के ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्ध वर्ष 2020 में पेश निगरानी को मियाद बाहर होने से खारिज करने बाबत निवेदन किया जिस पर न्यायालय का मत है, कि पुनरिक्षण के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं होने से निगरानी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को बिना कोई ठोस कारण मात्र विलम्ब के आधार पर खारिज किया जाना उचित नहीं होगा।

B. ग्राम पंचायतों को उनके आबादी क्षेत्र में स्थित भूखण्डों/सम्पत्तियों के संबंध में ही निर्णय लेने का अधिकार है, खातेदारी भूमियों के संबंध में ग्राम पंचायत को निर्णय/प्रस्ताव पारित करने का उन्हे कोई अधिकार विधि द्वारा प्रदत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत नूवां द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 श्री गजानंद शर्मा के पक्ष में जिस भूमि के बेचान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत नूवां की आबादी क्षेत्र की भूमि न होकर खातेदारी की भूमि है। इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना में निर्णित प्रकरण संख्या 39/2020 गजानन्द बनाम राज्य जो हस्तगत प्रकरण की भूमि से संबंधित है, में थानाधिकारी पुलिस थाना मौलासर द्वारा जांच पश्चात न्यायालय में पेश अंतिम रिपोर्ट संख्या 20/20 दिनांक 01.07.2020 जिसमें थानाधिकारी द्वारा निष्कर्ष दिया गया है कि बाड़ा रिकॉर्ड के मुताबिक श्री गजानंद शर्मा का

जिला कलक्टर

न होकर श्री भूरा राम रगदा की खातेदारी भूमि का है जिसे स्वीकार करते हुये माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय भी पारित किया है। उपर्युक्त से निगरानीकार द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती है, कि ग्राम पंचायत नूवां द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 व उसके क्रम में अप्रार्थी संख्या 04 श्री गजानंद शर्मा के पक्ष में जारी भूखण्ड से संबंधित जो अन्य व्यक्ति की खातेदारी कृषि भूमि है का अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नूवां द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है। अतः न्यायालय का मत है कि ग्राम पंचायत नूवां द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 व उसके क्रम में अप्रार्थी संख्या 04 श्री गजानंद शर्मा के पक्ष में भूखण्ड से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः उक्त प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 व उसके क्रम में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को अपास्त व शून्य घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

उपर्युक्त वर्णित विवेचन के संदर्भ में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नूवां द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 व उसकी निरन्तरता में अप्रार्थी संख्या 04 श्री गजानन्द पुत्र श्री रामकाराम, जाति ब्राहमण, निवासी नूवां तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0 के पक्ष में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुये अपास्त व शून्य घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

26.3.2021

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना